न्यायालयः— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के. पाटन, जिला बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— डॉ. ऋचा चायल, आर.जे.एस.
सी.आई.एस. नंबर :— Cri.Reg.Case/382/2022
सी एन आर नंबर :— RJBD080009392022

निर्णय दिनांकः—16.04.2026

आरक्षी केन्द्र के.पाटन, जिला बून्दी के मुकदमा संख्या 137/2022 अन्तर्गत धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 तथा धारा 3/181 मोटर वाहन अधिनियम से उदभुत प्रकरण।

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राजकुमार डागर सहा. अभि. अधि.
अभियुक्त/अभियुक्तगण	**बंटी** पुत्र दल्ला, निवासी बडाखेड़ा, पुलिस थाना लाखेरी, जिला बून्दी (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री जगदीश सेन, अधिवक्ता

अपराध की तिथि	15.03.2022 परिवाद पेश करने से पूर्व
परिवाद पेश करने की तिथि	15.03.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	18.04.2022
आरोप पत्र की तिथि	06.07.2022
आरोप सारांश सुनाये जाने की तिथि	06.07.2022
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	10.10.2024
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	16.04.2026
निर्णय की तिथि	16.04.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	16.04.2026

अभियुक्त का विवरण :—

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	बंटी	—	—	धारा 279, 337	दण्डादेश	परिवीक्षा अधिनियम	—

				भा.दं.सं. व धारा 3/181 मोटर वाहन अधिनियम		की धारा 4 व 5 का लाभ	

अभियोजन साक्ष्य की सूची :—

(क) अभियोजन साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.—1	दीनदयाल गोचर	रेडियोग्राफर
अ.सा.—2	बनवारीलाल	अनुसंधानकर्ता
अ.सा.—3	रेखा	ताईदी साक्षी
अ.सा.—4	रिंकू राज	शिकायतकर्ता
अ.सा.—5	हजारीलाल	ताईदी साक्षी
अ.सा.—6	संध्या	ताईदी साक्षी
अ.सा.—7	डॉ. इन्द्रपाल सिंह	चिकित्सकीय साक्षी
अ.सा.—8	मनोज कुमार	फर्द जब्ती जीप साक्षी
अ.सा.—9	सोनू बाई	ताईदी साक्षी
अ.सा.—10	रामावतार	ताईदी, नक्शा मौका घटनास्थल एवं फर्द डेमेज साक्षी
अ.सा.—11	राहुल	फर्द जब्ती जीप साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
बचाव साक्षी —	—	

(ग) न्यायालय साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
न्यायालय साक्षी—	—	

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

(क) अभियोजन :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्र.पी.—1	एक्सरे कवर नोट हजारीलाल
2.	प्र.पी.—2	परिवाद पत्र
3.	प्र.पी.—3	चाक एफआईआर
4.	प्र.पी.—4	नक्शा मौका घटनास्थल
5.	प्र.पी.—5	फर्द डेमेज एवं सुपुर्दगी वैन
6.	प्र.पी.—6	फर्द जब्ती जीप

7.	प्र.पी.—7	धारा 133 एमवी एक्ट नोटिस
8.	प्र.पी.—8	मैकेनिक मुआयना रिपोर्ट
9.	प्र.पी.—9 लगायत पी.—14	फर्द डेमेज वैन के फोटोग्राफ्स
10.	प्र.पी.—15	पुलिस बयान गवाह रेखा बाई
11.	प्र.पी.—16	चोट प्रतिवेदन रिंकूराज
12.	प्र.पी.—17	चोट प्रतिवेदन हजारीलाल

(ख) प्रतिरक्षा :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श डी—1	पुलिस बयान गवाह सोनू बाई

(ग) न्यायालय प्रदर्श :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	—	—

(घ) आवश्यक वस्तुयें :—

क्रम संख्या	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण

— :: निर्णय ::—

1. प्रकरण के मूलतः तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 15.03.2022 को एक परिवाद परिवादी रिंकूराज द्वारा अभियुक्त बंटी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 इस न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वह भीया, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी का रहने वाला है। दिनांक 22.02.2022 को दोपहर समय 2:30 बजे करीब की बात है। वह अपने गांव भीया से अपनी गाडी मैक्सीमो मिनी वैन नंबर आर.जे. 08 टी.ए. 1258 से अपने परिवार को लेकर के.पाटन आ रहा था। पीछे से गफलत व लापरवाही से तेज गति से जीप चालक बंटी ने अपनी जीप जिसके आगे बंपर पर प्लेट लगी हुई थी जिस पर ऑन गोरमेंट ड्यूटी पीएचईडी, लाखेरी लिखा हुआ था,ने उनकी गाडी के पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसके दांये हाथ में तथा उसकी पत्नी संध्या के पैर में चोट आई। उसके पिता हजारीलाल के पैर में गंभीर चोट आई तथा गाडी का केबिन पुरा डेमेज हो गया। चालक बंटी से कहासुनी की तो वह गाडी को आगे निकालकर वापिस उसकी तरफ जीप को लाया और उसे व उसके परिवार तथा गाडी को नुकसान पहुंचाने की गरज से जीप को तेज गति व लापरवाहीपूर्ण तरीके से उसकी गाडी को टक्कर मारकर वहां से जीप को लेकर कापरेन की तरफ भाग गया। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने मोबाइल से पुलिस थाना के.पाटन को दी थी तथा लिखित में रिपोर्ट दिनांक 24.02.2022 को दी थी। जिस पर पुलिस थाना के.पाटन द्वारा बंटी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक, बून्दी

को भी रिपोर्ट दी जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। घटना पुलिस थाना के.पाटन में घटित होने से परिवाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त है। परिवाद उचित कोर्ट फीस व अवधि मध्य पेश है। अतः परिवादी का परिवाद स्वीकार कर धारा 156(3) सीआरपीसी में अनुसंधान हेतु संबंधित थाने को भेजने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें, इत्यादि।

2. न्यायालय द्वारा उक्त परिवाद को धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत प्रकरण दर्ज कर बाद अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु संबंधित थाना को प्रेषित किया गया। जिस पर आरक्षी केन्द्र के.पाटन में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—137/2022 अंतर्गत धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता, 1860 दर्ज की गई और बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता 1860 (आगे भा.दं.सं. 1860 से विर्निदिष्ट किया जायेगा) तथा धारा 3/181 मोटर वाहन अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाया जाकर न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया। आरोप पत्र में उपलब्ध सामग्री से अंतर्गत धारा 279, 337 भा.दं.सं. 1860 व धारा 3/181 मोटर वाहन अधिनियम का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. आरोप पत्र की सुस्पष्ट प्रति अभियुक्त के अधिवक्ता को उपलब्ध करवाई गई। गवाहान के बयान तथा उपलब्ध अन्य सामग्री के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.दं.सं., 1860 व धारा 3/181 मोटर वाहन अधिनियम का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर आरोप सारांश मौखिक रूप से अभियुक्त को सुनाया समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोपित अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर साक्ष्य में नियत किया गया।

4. अभियोजन की ओर से कुल 11 साक्षी परीक्षित करवाये गये और प्रदर्श 1 से 17 तक प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये। पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश की गई मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं., 1973 में परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने गवाहान द्वारा किये गये कथन को गलत होना जाहिर किया है तथा यह भी कथन किया गया कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है, कोई घटना कारित नहीं हुई। अभियुक्त पक्ष ने साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया, तत्पश्चात् साक्ष्य सफाई बंद की गई।

5. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिये हैं कि पत्रावली पर संलग्न समस्त साक्ष्य सामग्री से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

6. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा तर्क दिए गए कि हस्तगत प्रकरण में परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। स्वयं परिवादी व अन्य चश्मदीद गवाहान के बयानों में भारी विरोधाभास है। प्रकरण में घटना के समय मौके पर पुलिस के पहुंचने के बावजूद घटना की दिनांक को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं होने से अभियोजन का मामला संदेहप्रद रहा है। जो भी गवाहान न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए हैं, वे हितबद्ध गवाहान होने से विश्वसनीय नहीं है। अभियुक्त की मौके पर तथाकथित दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक के रूप में पहचान साबित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

7. सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य के आधार पर न्यायालय को निम्न विचारणीय बिन्दु के संबंध में विवेचन करना है—

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 22.02.2022 को समय दोपहर 2:30 बजे या उसके लगभग स्थान माताजी के मन्दिर के सामने रेल्वे स्टेशन के.पाटन, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी में वाहन जीप को उतावलेपन/उपेक्षा से चलाकर पीछे टक्कर मारकर परिवादी रिंकूराज व उसके परिवारजन का मानवजीवन संकटापित किया जिसके फलस्वरूप उनके शरीर पर साधारण प्रकृति की चोटें कारित हुई तथा अभियुक्त ने वैध ड्राईविंग लाईसेंस नहीं होने के बावजूद वाहन को चलाया?

2. यदि हां, तो अभियुक्त के लिये उचित दण्ड क्या होगा?

8. प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 11 गवाहान् न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाये गये हैं। गवाह पी.डब्ल्यू—4 रिंकू राज हस्तगत प्रकरण का परिवादी/आहत है, पी.डब्ल्यू—5 हजारीलाल परिवादी का पिता होकर आहत तथा नक्शे मौके का गवाह है, पी.डब्ल्यू—3 रेखा, पी.डब्ल्यू—6 संध्या, पी.डब्ल्यू—9 सोनू बाई ताईदी साक्षीगण है, पी.डब्ल्यू—8 मनोज कुमार, पी.डब्ल्यू—11 राहुल फर्द जब्ती वाहन के गवाहान है, पी.डब्ल्यू—10 रामावतार फर्द डेमेज व नक्शे मौके का गवाह है, पी.डब्ल्यू—7 डॉ. इन्द्रपाल आहतगण की चोटों का मेडिकल मुआयना करने वाला चिकित्सक है, पी.डब्ल्यू—1 दीनदयाल गोचर रेडियोग्राफर है, पी.डब्ल्यू—2 बनवारीलाल हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है।

9. सर्वप्रथम परिवादी पी.डब्ल्यू—4 रिंकूराज के बयानों का अवलोकन किया गया, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अपने द्वारा पेश परिवाद के तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किये हैं कि बयानों से तीन साल पहले की बात है। वह, उसके पिता हजारीलाल, बहिन सोनू, बहिन रेखा, पत्नी संध्या, भांजा आशिश, कुशाल, भतीजा अनमोल उनकी गाडी मीनी वैन में बैठकर भीया से के. पाटन जा रहे थे। गाडी वह स्वयं चला रहा था। वे मांसी माता मन्दिर के सामने पहुंचे तो पीछे से एक कंमाडर जीप आयी जिसने उनकी गाडी के पीछे से टच करके उनकी गाडी के आगे गाडी रोक दी। वह उतरतर उसके पास गया तो अभियुक्त बंटी ने उससे कहासुनी की और उसकी गिरेबान पकड़ ली। उसके पिता हजारीलाल ने बीच बचाव किया। उसने जीप की चाबी निकाली तो अभियुक्त बंटी गाडी को डायरेक्ट स्टार्ट करके जीप को आगे से घुमाकर लाया और जीप को लहराते हुए तेज गति से लाकर उसकी वैन के सामने से टक्कर मारी जिससे उसकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और उसके व उसके पिता के चोटें आई। अभियुक्त से उसके पिता ने नाम पूछा तो अपना नाम बंटी बताया। उसने रिपोर्ट कराई लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। उसने न्यायालय में इस्तगासा पेश किया था जो प्रदर्श पी—2 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी निशानदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी—4 है। पुलिस ने उसकी चोटों का मेडिकल मुआयना कराया था। उसकी वैन नंबर आर.जे. 08 टी.ए. 1258 भी क्षतिग्रस्त हुई थी, जो प्रदर्श पी—5 है।

10. जिरह में गवाह कथन करता है कि वक्त घटना पुलिस मौके पर आ गई थी। पुलिस को उसने ही बुलाया था। वह घटना की रिपोर्ट लेकर थाने पर दो दिन बाद गया था। पुलिस वालों ने घटना के पन्द्रह दिन बाद मुकदमा दर्ज किया था। उसके तीन—चार चोटें आई थी। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि डॉक्टर ने सभी चोटों का मेडिकल किया था। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि जिस समय घटना हुई उस समय वह और उसके पिताजी गाड़ी के बाहर थे। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि अभियुक्त की गाड़ी का बंपर टूटने से उनके चोटें आई थी। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि उसके बंपर से डायरेक्ट चोटें नहीं थी, बंपर के टूटने से आई थी। उसकी व अभियुक्त बंटी की गाडी से आमने सामने से टक्कर हुई थी। उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी। उसके पिताजी के छह—सात चोटें आई थी जिनका भी मेडिकल हुआ था।

11. गवाह पी.डब्ल्यू—3 रेखा, जो कि ताईदी साक्षी है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करती है कि बयानों से तीन साल पहले की बात है। वह, उसका देवर रिंकूराज, ससुर हजारीलाल, ननद सोनू, देवरानी संध्या व बच्चे मैजिक गाडी में बैठकर भीया से के.पाटन आ रहे थे। वे मांसी माता के पास सामने रोड पर पहुंचे, तभी एक जीप पीछे से आई जिसका चालक तेज गति से चलाकर लाया,

जिसने पीछे से उनकी वैन के टक्कर मार दी। वे नीचे उतरकर रोड पर खड़े हो गए। उसका देवर रिंकूराज जो गाडी चला रहा था वो भी नीचे उतरा और टक्कर मारने वाली गाड़ी के चालक अभियुक्त बंटी को ओलमा दिया तो अभियुक्त बंटी ने गाली गलौच की। उन्होंने अभियुक्त बंटी से नाम पता पूछा, फिर अभियुक्त ने गाडी में बैठकर वापस गाडी को तेजी से चलाकर उनके टक्कर मार दी जिससे उसके, उसके देवर रिंकूराज व ससुर के चोटें आई।

12. उक्त गवाह को अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराया जाकर की गई जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताती है कि दिनांक 22.02.2022 को वह, उसका देवर रिंकूराज, ससुर हजारीलाल, ननद सोनू, देवरानी संध्या व बच्चे मैक्सीको वैन नंबर आर.जे. 08 टी.ए. 1258 से गांव भीया से के.पाटन आ रहे थे। गवाह इस कथन को सही होना बताती है कि वे रेल्वे स्टेशन के पास मांसी माताजी के मन्दिर के पास पहुंचे तो पीछे से आ रही कमाण्डर जीप के चालक ने उनकी वैन को क्रोस कर जीप के पिछले हिस्से उनकी वैन के टक्कर मार दी। गवाह इस कथन को सही होना बताती है कि उसके देवर रिंकूराज ने टक्कर मारने वाली जीप चालक को ओलमा दिया तो जीप चालक ने जीप को तेज गति व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारी जिससे रिंकूराज व हजारीलाल के चोटें आई थी। गवाह इस कथन को सही होना बताती है कि उसके देवर व ससुर ने जीप चालक से नाम पूछा तो अपना नाम बंटी बताया था। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी—15 को सही होना बताया।

13. अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह कथन करती है कि वह अभियुक्त बंटी को जानती पहचानती नहीं है। अभियुक्त की गाड़ी के नंबर उसे याद नहीं है, क्योंकि अभियुक्त बंटी ने नंबर पर कपड़ा लगा रखा था। जब टक्कर मारी तब वे नीचे रोड पर खड़े थे। उसके पुलिस वालों ने हस्ताक्षर नहीं करवाये, न ही कोई बयान लिए।

14. गवाह पी.डब्ल्यू—5 हजारीलाल, जो कि परिवादी का पिता होकर आहत तथा नक्शे मौके का गवाह है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि बयानों से तीन साल पहले की बात है। वह, उसकी पुत्री सोनू, पुत्रवधू रेखा, संध्या, उसकी लडकी के बच्चे आशिष, कुशाल, उसका पौता अनमोल व उसका लड़का रिंकू उनकी गाड़ी वैन में बैठकर भीया से के.पाटन आ रहे थे। उनकी वैन को उसका लड़का चला रहा था। वे मांसी मंदिर के सामने पहुंचे, जहां तीन चार औरतें खडी थी। जहां पीछे से एक जीप आई और उनकी गाडी को ओवरटेक करके उनकी गाडी के सामने खडी कर दी। जीप के ओवरटेक करने से उनकी गाडी का पीछे का हिस्सा जीप से हल्का सा टच हुआ था। जीप चालक से उसकी पुत्री व पुत्रवधु से कहासुनी हो गई थी। उसका लडका गाडी में बैठा था। वे सभी नीचे उतरे तो जीप चालक अभियुक्त बंटी गाडी को लेकर

के.पाटन चौराहे की तरफ भाग गया। जीप चालक ड्रेन के पास से जीप को घुमाकर जीप को फूल स्पीड से चलाकर आया और उनकी गाडी के टक्कर मार दी, जिससे उनकी गाडी क्षतिग्रस्त हो गई। उस समय वह गाडी के पीछे था। उसका लडका गाडी के पास ही था। टक्कर लगने से उसके व उसके बेटे के चोटें आई। टक्कर मारने वाली जीप चालक अभियुक्त का नाम बंटी था। जीप चालक अभियुक्त के साथ एक व्यक्ति और बैठा था, जिसने बोला कि बंटी भाग जिससे पता चला कि जीप चालक अभियुक्त का नाम बंटी था। उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी—4 है। पुलिस ने उसकी चोटों का मेडिकल मुआयना भी कराया था। उसके लडके ने न्यायालय में इस्तगासा पेश किया था।

15. जिरह में गवाह कथन करता है कि जब टक्कर लगी तब वह गाड़ी से नीचे था। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि अभियुक्त बंटी ने उसके कोई टक्कर नहीं मारी, गाडी के मारी थी। पुलिस घटनास्थल पर घटना के दिन ही गई थी। जीप चालक ने उनकी खड़ी गाड़ी के टक्कर मारी थी। ओवरटेक करते समय उनकी गाडी की गति 30—40 की थी। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि अभियुक्त बंटी ने उसे अपना नाम पता नहीं बताया, अभियुक्त बंटी के दोस्त ने बताया कि बंटी भाग।

16. गवाह पी.डब्ल्यू—6 संध्या, जो कि परिवादी की पत्नी होकर ताईदी साक्षी है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करती है कि बयानों से तीन साल पहले की बात है। वह, उसका ससुर हजारीलाल, उसका पति रिंकूराज, उसकी जेठानी रेखा, ननद सोनू व बच्चे उनकी वैन से गांव भीया से के.पाटन आ रहे थे। उनकी वैन को उसका पति रिंकूराज चला रहा था। दिन के ग्यारह बजे की बात है। वे माताजी के मंदिर के सामने रेल्वे स्टेशन के.पाटन पहुंचे तभी एक जीप को उसका चालक अभियुक्त बंटी पीछे से चलाकर लाया और उनकी वैन के पीछे से टक्कर मार दी। उसके ससुर व उसके पति उतरकर जीप चालक अभियुक्त बंटी से बात करी तो अभियुक्त बंटी ने बहस बाजी की। जीप चालक अभियुक्त से उसके पति व ससुर ने नाम पूछा तो अभियुक्त बंटी ने अपना नाम बंटी बताया। जीप चालक अभियुक्त बंटी ने जीप को घुमाकर तेज गति से लाकर उनकी वैन के टक्कर मारी जिससे उसके पति व ससुर के चोटें लगी, जो उनकी गाडी के पास खडे थे।

17. जिरह में गवाह कथन करती है कि उसी दिन घटना के दो—तीन घंटे बाद मुकदमा दर्ज कर लिया था। जब उनकी गाड़ी के टक्कर मारी तब वे गाड़ी में नहीं थे। गवाह स्वयं को इस बात की जानकारी नहीं होना बताती है कि टक्कर मारने वाला व्यक्ति किस गांव का था। वह अभियुक्त को जानती

पहचानती नहीं है। जीप चालक व उसके पति के बीच कोई पुरानी रंजिश नहीं थी।

18. गवाह पी.डब्ल्यू—9 सोनू बाई, जो कि परिवादी की बहन होकर ताईदी साक्षी है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करती है कि बयानों से तीन साल पहले की बात है। वह, उसका भाई रिंकूराज, पिता हजारीलाल, भाभी संध्या, रेखा बाई बच्चो सहित उनकी वैन से भीया से के.पाटन जा रहे थे। वैन उसका भाई चला रहा था। वे मांसी माता मंदिर के सामने पहुंचे तो पीछे से एक कमाण्डर जीप के चालक अभियुक्त बंटी ने जीप को लहराते हुए चलाकर आया और उनकी गाडी के पीछले हिस्से पर टक्कर मार दी जिस पर उसके भाई ने गाडी रोक दी। उसका भाई व पिता नीचे उतरे और कमाण्डर जीप चालक अभियुक्त बंटी से कहा कि क्या किया, तो अभियुक्त बंटी गाली गलौच करने लगा। जीप कमाण्डर चालक अभियुक्त बंटी से नाम पूछा तो अपना नाम बंटी बताया। अभियुक्त बंटी जीप को लेकर गया और वापस घुमाकर लाया और जीप को तेजी से लहराते हुए लाकर उनकी वैन के टक्कर मार दी, जिससे उसके पिता, भाई के चोटें आई। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। उसके भाई ने न्यायालय में इस्तगासा पेश किया।

19. जिरह में गवाह कथन करती है कि वह गाड़ी मालिक को नहीं जानती। वह अभियुक्त बंटी को नहीं जानती। उसके कोई चोट नहीं आई थी। उसके भाई ने मुकदमा दर्ज करवाया था। उसके पुलिस ने बयान नहीं लिए। उसके भाई ने जो रिपोर्ट थाने पर दी थी उस पर कार्यवाही की थी। गवाह इस कथन को सही होना बताती है कि जिस दिन मुकदमा दर्ज हुआ उस दिन थाने में बयान नहीं हुए।

20. गवाह पी.डब्ल्यू—10 रामावतार, जो कि फर्द डेमेज व नक्शे मौके का गवाह है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी—4 व फर्द डेमेज प्रदर्श पी—5 पर क्रमशः जी से एच व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है।

21. उक्त गवाह को अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराया जाकर की गई जिरह में गवाह इस कथन को गलत होना बताता है कि जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था उस जगह का पुलिस ने उसके सामने नक्शा मौका बनाया हो। गवाह इस कथन को गलत होना बताता है कि परिवादी रिंकूराज की वैन की फर्द डेमेज पुलिस ने उसके सामने बनाई हो।

22. अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह कथन करता है कि उसके सामने कोई दुर्घटना नहीं हुई। उसने घटना नहीं देखी। पुलिस ने क्या लिखा पढ़ी की उसे याद नहीं।

23. गवाह पी.डब्ल्यू—7 डॉ. इन्द्रपाल सिंह, जो कि आहतगण की चोटों का मेडिकल मुआयना करने वाला चिकित्सक है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 27.04.2022 को सीएचसी के.पाटन में एमओ के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसने पुलिस थाना के.पाटन की तहरीरी रिपोर्ट पर मजरूब रिंकूराज के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। चोट संख्या 1 दांये हाथ के अंगूठे पर दर्द की शिकायत। जिसके लिए एक्सरे की सलाह दी गई। बाद एक्सरे कोई अस्थिभंग नहीं पाया गया। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी—16 है, जिस पर ए से उसके हस्ताक्षर व सी से डी उसकी राय अंकित है। उसी दिन उसने मजरूब हजारीलाल के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। चोट संख्या 1 बांई एडी पर दर्द की शिकायत। जिसके लिए एक्सरे की सलाह दी गई। बाद एक्सरे उसके द्वारा राय दी गई जिसमे कोई अस्थिभंग नहीं था। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी—17 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी उसकी राय है। उक्त गवाह से कोई जिरह नहीं की गई है।

24. गवाह पी.डब्ल्यू—1 दीनदयाल गोचर, जो कि रेडियोग्राफर है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 27.04.2022 को सीएचसी के. पाटन में रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत था। उस दिन इन्द्रपाल के प्रतिवेदन पर मजरूब हजारीलाल के बांये पैर की ऐडी का एक्सरे किया था। जिसकी एक्सरे प्लेट नंबर 76 है, जो प्रदर्श पी—1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

25. जिरह में गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि वह रेडियोलोजिस्ट नहीं है, इसलिए वह नहीं बता सकता कि चोट गंभीर थी या नहीं। उसने केवल एक्सरे किया था।

26. गवाह पी.डब्ल्यू—8 मनोज तथा पी.डब्ल्यू—11 राहुल, उक्त दोनों गवाहान फर्द जब्ती वाहन के गवाहान है जो अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करते हैं कि वे दिनांक 14.06.2022 को थाना के.पाटन में कानि. के पद पर कार्यरत थे। उस दिन बनवारीलाल हैड कानि. ने प्रकरण संख्या 137/2022 में एक कमाण्डर जीप नंबर आर.जे. 20 यू.बी. 0204 को अभियुक्त बंटी से जब्त किया था। फर्द जब्ती प्रदर्श पी—6 है जिस पर उनके हस्ताक्षर है।

27. जिरह में गवाहान इस कथन को सही होना बताते हैं कि गाड़ी उनके सामने थाने पर जब्त की थी। घटनास्थल से उनके सामने कोई वाहन जब्त नहीं किया।

28. गवाह पी.डब्ल्यू—2 बनवारी लाल, जो कि हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 18.04.2022

को थाना के.पाटन में हैड कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन नन्दसिंह एएसआई ने परिवादी रिंकूराज का इस्तगासा प्राप्त होने पर प्रकरण संख्या 137/2022 दर्ज कर अनुसंधान उसे सुपुर्द किया था। इस्तगासा प्रदर्श पी—2 है जिस पर ए से बी कायमी मुकदमा, सी से डी नन्दसिंह एएसआई के हस्ताक्षर है। जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी—3 है। दौराने अनुसंधान परिवादी रिंकूराज की निशानदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी—4 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। गवाह संध्या, हजारीलाल, रेखाबाई, सोनू बाई के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए। परिवादी रिंकूराज व हजारीलाल की चोटों का मेडिकल मुआयना करवाकर शामिल पत्रावली किया। दुर्घटनाग्रस्त वैन नंबर आर.जे. 08 टी.ए. 1258 की फर्द डेमेज बनाई जो प्रदर्श पी—5 है। प्रकरण में वांछित जीप नंबर आर.जे. 20 यू.बी. 0204 अभियुक्त बंटी द्वारा थाने पर लाकर पेश की जिसे जरिये फर्द प्रदर्श पी—6 जब्त किया। जब्तशुदा जीप के पंजीकृत वाहन स्वामी अभियुक्त बंटी को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस देकर जवाब प्राप्त किया, जिसके जवाब में अभियुक्त बंटी ने बताया कि उक्त जीप स्वयं चला रहे था। नोटिस प्रदर्श पी—7 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी वाहन स्वामी अभियुक्त बंटी का जवाब व ई से एफ अभियुक्त के हस्ताक्षर है। जब्तशुदा जीप का मैकेनिक मुआयना करवाकर रिपोर्ट शामिल पत्रावली की। दुर्घटनाग्रस्त वैन के फोटोग्राफ शामिल पत्रावली किए जो प्रदर्श पी—9 लगायत पी—14 है। जब्तशुदा जीप की आरसी, बीमा, ड्राईविंग लाईसेंस की फोटो प्रति प्राप्त की। चालक के पास ड्राईविंग लाईसेंस नहीं था इसलिए धारा 3/181 एमवी एक्ट जोडी गई। अनुसंधान से अभियुक्त बंटी के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. व धारा 3/181 एमवी एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द की जिनके द्वारा न्यायायल में आरोप पत्र पेश किया गया।

29. जिरह में गवाह कथन करता है कि जीप कमाण्डर को लापरवाहीपूर्वक चलाकर एवं तेज गति से चलाया गया था। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि घटना वाला इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला हैा, काफी लोग आते जाते रहते है। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि परिवादी व उसके परिवार के सदस्यों को ही हितबद्ध गवाह बनाये थे, क्योंकि अनुसंधान के दौरान स्वतंत्र गवाह हेतु आस—पास रहने वालों लोगों को गवाह बनने हेतु कहा गया था, परन्तु कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए गवाह नहीं बने। वह घटनास्थल पर गया था, जिसकी उसने रवानगी रपट डाली थी, परन्तु रवानगी रपट पत्रावली पर नहीं है। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि दुर्घटना में लिप्त वाहन को थाने से जब्त किया था। घटनास्थल पर कोई वाहन मौजूद नहीं था। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि एफआईआर में आगे व पीछे से टक्कर मारना बताया है, साईड से टक्कर मारना नहीं बताया है। उसने गवाहान के बयान बाईस तारीख को लिए थे, महीना याद नहीं, फिर खुद कहा कि सताईस तारीख को लिए थे। नक्शा मौका सताईस तारीख को बनाया था।

गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि नक्शे मौके का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया। एमएलसी कब करवाई उसे याद नहीं। गवाह इस कथन को सही होना बताता है कि परिवादी ने इस्तगासे से पूर्व कोई रिपोर्ट थाने पर दी थी। रिपोर्ट दी थी जिस पर अनुसंधान किया। अनुसंधान करने के बाद प्रकरण दर्ज नहीं किया। एफआईआर से पहले रिपोर्ट एसपी साहब के पास आई हो तो उसे याद नहीं। गवाह इस कथन को गलत होना बताता है कि सारी कार्यवाही थाने पर बैठकर की हो।

30. प्रकरण में परिवादी रिंकूराज द्वारा घटना की दिनांक 22.02.2022 होना बताते हुए घटना के दिन अभियुक्त बंटी द्वारा अपनी जीप से परिवादी की गाड़ी संख्या आर.जे. 08 टी.ए. 1258 को टक्कर मारना और इस कारण से परिवादी, उसकी पत्नी व उसके पिता हजारीलाल के शरीर पर चोटें आना दर्शित करते हुए उसकी गाड़ी मैक्सीमो को भी नुकसान होना बताया है और परिवादी ने अपने परिवाद में स्पष्ट रूप से अभियुक्त बंटी द्वारा सर्वप्रथम परिवादी की गाड़ी के पीछे से टक्कर मारना तथा ओलमा देने पर आगे जाकर अपनी गाड़ी को वापस घुमाकर आगे से परिवादी की गाड़ी को टक्कर मारना दर्शित किया है, जिसके क्रम में परिवादी रिंकूराज बतौर पी.डब्ल्यू—4 न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा के कथनों में अपने परिवाद के तथ्यों की पूर्णतः ताईद की है। हालांकि परिवादी ने ना तो अपने परिवाद में और ना ही अपनी मुख्य परीक्षा के कथनों में टक्कर मारने वाली जीप का नंबर दर्शित किया है। इस संबंध में परिवादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह स्पष्टीकरण दिया है कि टक्कर मारने वाली जीप के नंबर पर कट्टा बांध रखा था, जिससे नंबर नहीं दिखे, परन्तु उक्त गवाह मौके पर ही तथाकथित दुर्घटना कारित करने वाली जीप के चालक का नाम बंटी ज्ञात होना बताता है, जो उसके पिता हजारीलाल द्वारा मौके पर ही पूछा गया था। हालांकि गवाह की जिरह में यह प्रकट हुआ है कि दुर्घटना के समय मौके पर पुलिस आ गई थी, परन्तु उस दिन पुलिस द्वारा कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और परिवादी द्वारा घटना के लगभग 23 दिन पश्चात् इस्तगासा अभियुक्त के विरूद्ध पेश किया है, जिस बाबत् अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि प्रकरण में एफआईआर देरी से दर्ज कराई गई है। जिसके क्रम में परिवादी के बयानों से यह प्रकट आया है कि उसने घटना की रिपोर्ट घटना के दो दिन पश्चात् जाकर थाने पर देनी चाही थी, परन्तु पुलिस वालों ने घटना के पन्द्रह दिन पश्चात् मुकदमा दर्ज किया था और ऐसी स्थिति में जबकि परिवादी अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट पेश करने हेतु तैयार व तत्पर था, पुलिस वालों द्वारा यदि घटना के दिन अथवा उसके दो दिन के भीतर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो परिवादी की ओर से कोई लापरवाही की गई हो यह प्रकट नहीं आता है और न्यायालय के समक्ष पेश इस्तगासे पर न्यायालय द्वारा किए गए आदेश के क्रम में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 18.04.2022 को दर्ज की गई है, जिससे यह नहीं माना जा सकता कि परिवादी द्वारा घटना की रिपोर्ट देर से दर्ज कराई गई हो।

31. मौके के ही गवाह पी.डब्ल्यू—5 हजारीलाल, जो कि परिवादी का पिता है, गवाह पी.डब्ल्यू—6 संध्या जो कि परिवादी की पत्नी है, गवाह पी.डब्ल्यू—3 रेखा जो कि परिवादी की भाभी है, गवाह पी.डब्ल्यू—9 सोनू जो कि परिवादी की बहन है, उक्त समस्त गवाहान अपने बयानों से यह प्रकट करते हैं कि घटना की दिनांक को अभियुक्त बंटी द्वारा अपनी जीप से परिवादी रिंकूराज की गाड़ी जिसमे उक्त समस्त व्यक्ति बैठे हुए थे को पीछे से टक्कर मारी और ओलमा देने पर जीप को घुमाकर सामने से पुनः परिवादी की गाडी के टक्कर मारी जिससे परिवादी की गाड़ी के पास खड़े परिवादी रिंकूराज, उसके पिता हजारीलाल के चोटें आई थी।

32. हालांकि उक्त गवाहान यह दर्शाते हैं कि मौके पर तथाकथित दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक का नाम बंटी होना, मौके पर ही अभियुक्त द्वारा बताया गया था, परन्तु इस संबंध में परिवादी का पिता हजारीलाल पी.डब्ल्यू—5 यह दर्शाता है कि मौके पर दुर्घटना कारित करने वाली जीप चालक के साथ बैठे व्यक्ति ने जीप चालक का नाम बंटी होना पुकारा था, जो कि मामूली विरोधाभासी तथ्य है। चूंकि मौके के समस्त गवाहान मौके पर ही जीप चालक का नाम बंटी ज्ञात होना अपने बयानों से प्रकट करते है, जिसके क्रम में उक्त मौके के गवाहान को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि तथाकथित दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक का नाम बंटी ना हो और ना ही गवाहान के बयानों के दौरान अभियुक्त पक्ष की ओर से तथाकथित दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक की पहचान के संबंध में कोई आपत्ति ली गई है।

33. यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी पी. डब्ल्यू—2 बनवारीलाल द्वारा संपूर्ण अनुसंधान किया गया है और अनुसंधान के दौरान तथाकथित दुर्घटना कारित करने वाली जीप का नंबर आर.जे. 20 यू.बी. 0204 होना और दुर्घटना की दिनांक को अभियुक्त बंटी द्वारा ही उक्त जीप को चलाना दर्शित किया है, जिससे भी जिरह में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं कराया गया है जिससे मौके पर वाहन जीप नंबर आर.जे. 20 यू.बी. 0204 का चालक अभियुक्त बंटी होना ना साबित हो। हालांकि प्रकरण का वाहन स्वामी स्वयं अभियुक्त होने के कारण बतौर गवाह अभियुक्त न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हो पाया है, तो भी अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी में अभियुक्त ने इस तथ्य का कोई खण्डन नहीं किया है कि घटना की दिनांक को तथाकथित दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का चालक वह स्वयं था और ना ही साक्ष्य प्रतिरक्षा में इस तथ्य के खण्डन हेतु कोई साक्ष्य अभियुक्त की ओर से पेश की गई है।

34. चूंकि न्यायालय के समक्ष मौके के समस्त गवाहान जो कि परिवादी की मैक्सीमो वैन में घटना के समय बैठे हुए थे द्वारा एक स्वर में अभियुक्त

बंटी द्वारा लापरवाहीपूर्वक अपनी जीप को चलाकर परिवादी की गाड़ी को टक्कर मारकर परिवादी व उसके पिता के चोटें पहुंचाना साबित किया है। हालांकि उक्त गवाहान परिवादी के परिवारजन होकर हितबद्ध गवाहान रहे हैं और प्रकरण में कोई स्वतंत्र गवाह न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित नहीं कराया गया है, तो भी चूंकि उक्त समस्त हितबद्ध गवाहान के बयानों में मौके की घटना को लेकर कोई विरोधाभास नहीं आया है और अभियुक्त की ओर से परिवादी पक्ष की अभियुक्त पक्ष से पूर्व रंजिश के संबंध में दिए गए सुझाव को भी उक्त समस्त गवाहान सिरे से इंकार करते हैं और ऐसी स्थिति में मौके के समस्त गवाहान अपनी अटल साक्ष्य से यह साबित करते हैं कि घटना की दिनांक को परिवादी की गाड़ी को जिस व्यक्ति द्वारा टक्कर मारी गई वह वाहन जीप नंबर आर.जे. 20 यू.बी. 0204 पर सवार था और और उसका चालक अभियुक्त बंटी ही था।

35. नक्शे मौके का गवाह पी.डब्ल्यू—10 रामावतार हालांकि न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही हुआ है और स्वयं के समक्ष प्रकरण का नक्शा मौका बनाये जाने से इंकार करता है, परन्तु परिवादी का पिता पी.डब्ल्यू—5 हजारीलाल जो कि अपने बयानों से नक्शे मौके प्रदर्श पी—4 को पूर्णतः साबित किया है, चूंकि गवाह की जिरह में नक्शे मौके के संबंध में कोई विरोधाभास नहीं आया है।

36. चिकित्सकीय साक्षी पी.डब्ल्यू—7 डॉ. इन्द्रपाल सिंह से कोई जिरह नहीं किए जाने से उक्त गवाह की साक्ष्य अखण्डनीय रही है। उक्त गवाह की साक्ष्य से तथा मौके के समस्त गवाहान की साक्ष्य से भी यह साबित हुआ है कि परिवादी व उसके पिता के शरीर पर जो चोटें आई थी, वे अभियुक्त बंटी द्वारा लापरवाहीपूर्वक अपने वाहन को चलाये जाने के कारण मजरूबान को कारित की गई थी। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी की मुख्य परीक्षा का कोई खण्डन उसकी जिरह से नहीं हो सका है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337 भा.दं.सं., 1860 को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है।

37. जहां तक अभियुक्त पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 3/181 एमवी एक्ट का प्रश्न है, इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू—2 बनवारीलाल द्वारा अपनी साक्ष्य से स्पष्ट रूप से घटना की दिनांक को अभियुक्त के पास ड्राईविंग लाईसेंस नहीं होना दर्शाया है, जिसका भी कोई खण्डन गवाह की जिरह में नहीं हुआ है। अतः अभियुक्त पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 3/181 एमवी एक्ट भी अभियोजन पक्ष द्वारा संदेह से परे साबित किया गया है।

38. इस प्रकार पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश की गई संपूर्ण मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह

से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 22.02.2022 को समय दोपहर 2:30 बजे या उसके लगभग स्थान माताजी के मन्दिर के सामने रेल्वे स्टेशन के.पाटन, पुलिस थाना के.पाटन, जिला बून्दी में वाहन जीप को उतावलेपन/उपेक्षा से चलाकर पीछे टक्कर मारकर परिवादी रिंकूराज व उसके परिवारजन का मानवजीवन संकटापित किया जिसके फलस्वरूप उनके शरीर पर साधारण प्रकृति की चोटें कारित हुई तथा अभियुक्त ने वैध ड्राईविंग लाईसेंस नहीं होने के बावजूद वाहन को चलाया। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337 भा.दं.सं. 1860, व धारा 3/181 मोटर वाहन अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

39. अतः **अभियुक्त बंटी** पुत्र दल्ला, निवासी बडाखेड़ा, पुलिस थाना लाखेरी, जिला बून्दी (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 व धारा 3/181 मोटर वाहन अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में नियमित उपस्थिति बाबत् पेश जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन, जिला बून्दी

सजा के बिन्दु पर सुना गया

40. दौराने बहस अभियुक्तगण अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि भी नहीं है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया। जबकि दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पर आरोपित अपराध की प्रकृति गंभीर है। अतः अभियुक्त को आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जाकर सख्त से सख्त सजा दिये जाने का निवेदन किया गया।

41. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर आया कि अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अभियुक्त की दोषसिद्धि से संबंधित कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं की गई है। अभियुक्त वर्ष 2022 से प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रहा हैं। अभियुक्त द्वारा पूर्व दोषसिद्ध नहीं किए जाने या परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं लिये जाने बाबत् शपथ पत्र भी पेश किया गया है। अभियुक्त के चरित्र, अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये इस स्तर पर अभियुक्त को सजा से दंडित नहीं किया जाकर आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

42. परिणामस्वरूप **अभियुक्त बंटी** पुत्र दल्ला, निवासी बडाखेड़ा, पुलिस थाना लाखेरी, जिला बून्दी (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337 भा.दं.सं., 1860 व धारा 3/181 एमवी एक्ट में दोषसिद्ध किए जाने पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा—4 के तहत आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त न्यायालय के संतोषप्रद 10,000/—रूपये की जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका छह माह की समयावधि के लिये, जो इस आशय हो कि उक्त अवधि में सदाचारी बना रहेगा तथा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा और न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित होकर दंड ग्रहण करेगा, प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवें एवं अभियोजन व्यय के रूप में धारा—5 परिवीक्षा अधिनियम के तहत अभियुक्त 2,000/— रूपए (अक्षरे दो हजार रूपये) जमा करा देवें तो उसे परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे।

43. अभियुक्त को प्रकरण में अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने बाबत् धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत नियमित उपस्थिति बाबत् 10,000/—रूपये की जमानत व इसी कदर राशि का मुचलके पेश करने के क्रम में उक्त जमानत मुचलके आगामी 06 माह तक प्रभावी रहेंगे।

44. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन जीप नम्बर आर.जे. 20 यू.बी. 0204 को पूर्व में ही उसके वाहन स्वामी की सुपुर्दगी में दिया जा चुका है, जो उसी के पास बना रहे। बाद गुजरने मियाद अपील अवधि सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा निरस्त समझे जावे।

45. बाद गुजरने मियाद अपील/निगरानी अभियोजन व्यय राशि 2,000/—रूपये में से 1000/—रूपये परिवादी/आहत रिंकूराज को तथा 1000/—रूपये आहत हजारीलाल को बतौर क्षतिपूर्ति नियमानुसार अदा किये जावे।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन, जिला बून्दी

46. निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक **16 अप्रेल, 2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन, जिला बून्दी